

F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं:.1772 का नवीकरण सहित संशोधन Renewal cum Amendment of Type Approval No.: 1772

विषय /Sub: इन्वर्टर सहित डीम्मर (आईसीडी), पार्ट सं. 1710 003 835 44 / Inverter cum Dimmer (ICD), Part No.: 1710 003 835 44

यह घोषित किया जाता है कि मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, (भारत सरकार उद्यम), रक्षा मंत्रालय, प्लॉट सं.405, फेज़- III, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला-134 113, हरियाणा, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित " इन्वर्टर सहित डीम्मर" पार्ट सं. 1710 003 835 44 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1772, दिनांक 06 अगस्त 2013 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1772 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसम्बर 2018 तक है। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1772/1ए दिनांक 31 दिसंबर 2015 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था।

This is to state that the "Inverter cum Dimmer" bearing the Part No. 1710 003 835 44, designed, developed and manufactured by M/s. Bharat Electronics Limited, (A government of India Enterprise), Ministry of Defence, Plot No.405, Phase - III, Industrial Area, Panchkula - 134 113, Haryana, was issued with Type Approval Number: 1772 vide reference number: CEMILAC/5070/TA-1772, dated: 06th August 2013 with its validity up to 31st December 2018. Subsequently an Addendum was issued vide reference number: CEMILAC/5070/TA-1772/1A, dated: 31st December 2015.

पृष्ठ/Page 01 of 02

arararakan karararakan karararakan karararakan karararakan karararakan karararakan karararakan karararakan kar

ਧੂਲ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सਂ/.TA No.: 1772

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (चंडीगढ़), चंडीगढ़ – 160 003 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Chandigarh), Chandigarh – 160 003, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1772, दिनांक 06 अगस्त 2013 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-1772, dated: 06th August 2013 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate

remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1772/1R

दिनांक / Date : 24 December 2018

फैक्स सं /Fax No: 080-25230856

R

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)